Muli Devi had applied for a licence for a coal depot in Paschimpuri, New Delhi in 1979.

(d) Yes, Sir.

(e) Licence was granted on the basis of the recommendation by the Chairman, Advisory Committee, Metropolitan Council as well due to the fact the applicant belonged to the Scheduled Caste.

(f) No, Sir. The Deptt. of coal has not received any complaints regarding allotment of coal depots.

(g) and (h). Does not arise.

सवाई माधोपुर, राजस्थान में उर्वरक संयंत्र लगाया जाना

4187. श्री **राम कुमार मीना** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर (राजस्थान) में एक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये 1979 में कोई केन्द्रीय सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) क्या वहां संयंत्र लगाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं । केन्द्र सरकार ने सवाई माधोपुर में उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) भविष्य में लगाये जाने वाले गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सही स्थल की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने निदिष्ट किया था कि सवाई माधोपुर सही स्थल नहीं हो सकता । तथा उर्वरक संयंत्र के सही स्थल का निर्णय इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, कच्चे माल और तैयार उर्वरकों के परिवहन के संभारतंत्र और अन्य युक्ति संगत तकनीकी आर्थिक पहलुओं जैसे मुद्दों को ध्यान में रख कर किया जाता है । वैसे यह तभी संभव है जब विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन पूरे हो गये हों कि भविष्य के उर्वरक संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए सही स्थल के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना संभव होगा ।

शरणार्थियों के दावों का निपटान

4188. **श्री भगवान देव** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के समय देश में आने वाले ऐसे सिंधी, पंजाबी और बंगाली शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन के दावों का निपटान अब तक किया जा चुका है और ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन के दावों का निपटान अभी किया जाना है ;

(ख) शेष दावों का निपटान अब तक न किये जाने के क्या कारण है और इन दावों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा ;

(ग) कितने सिंधी शरणार्थियों ने विभाजन के बाद भारत सरकार से लिये गये ऋण का भुगतान कर दिया है और उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया है और ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी ऋण का भुगतान करना है और उन के द्वारा कितनी राशि लौटायी जानी है ;

(घ) क्या भारत सरकार उन शरणार्थियों के ऋण माफ करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्होंने 5000 रुपये से कम राशि लौटाई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर अब विचार करने को तैयार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे): (क) और (ख). मुआवजे के लिये दायर किये गये आवेदन पत्रों की कुल संख्या 5,07,133 थी । इन सभी आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया है । तथापि, न्यायिक आदेशों आदि के परिणामस्वरूप 1785 आवेदन पत्रों पर पुनः कार्यवाही की आवश्यकता है । इन मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) पुनर्वास विभाग में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । क्योंकि ऋण राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित किये गये थे ।

(घ) यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए ऋण बट्टे खाते डाल दिये जाये । प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 2000 रुपये के ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये राज्य सरकारों को शक्तियां सौंप दी गई है । ऐसे मामलों पर, जिन में 2000 रु० से अधिक राशि हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है ।

(ङ) उक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए इस का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Irrigation Projects in Orissa

4189. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) what are irrigation projects, schemes and progarmmes prepared by the Government of Orissa and